



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

District Registering Authority
KANNAUJ

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that **KANNAUJ HOSPITAL** located at *Krishna Nagar* owned by **ALOK PRATAP SINGH** has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a *Hospital, Nursing Home, MultiHome, Primary Health Center, Community Health Center, Single Practitioner, Dispensary, Day Care Centre, Pathology, Hematology, Biochemistry* under *Allopathy* System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

b6
(CHIEF MEDICAL OFFICER)
DISTRICT REGISTRATION AUTHORITY
Designation of the Issuing Authority
Clinical Establishments Act-2010
Kannauj

Place: Kannauj
Date of Issue: 21/12/2022

Terms and Conditions of Registration*

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

*Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.

<http://cliniclestablishments.gov.in/AuthenticatedPages/DIRA/Provisional.aspx?StatusId=Org/1302%20ps%3d&DistrictId=T084A0t2y9%3d>, Date: 21/12/2022

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00018/2022-2023

दिनांक 04/04/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/KNJ/00137/2022-2023

पत्रावली संख्या: K-46273

दिनांक: 2012-2013

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कल्मोज हिंगी कालेज, कृष्णानगर, छिंदवाड़ा, जिला कल्मोज, कल्मोज, 209721 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 05/2012-13 दिनांक-03/04/2012 को दिनांक-03/04/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फ्रीस सम्पर्क रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(akhilesh chandra MAURYA)

7303EA10B1918A05BDAE7DA4554C1288120C4FA2

Date: 04/04/2022 3:35:19 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-04/04/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AE 579822

यह जनरल स्टाम्प पेपर ~~कूल्लीज़ डिनी कॉलेज़~~

जिला ~~कूल्लीज़~~ काइल सं. ५४६२८३
सेक्षो० स्कूलि घट्ट के साथ संलग्न है



सत्य-प्रविलिपि

वारिं सहायक

फर्मस, सोसाइटीज तथा चिकित्सा

कालापुर

L-05/06/2020

संशोधित रगृति - पत्र

1. संस्था का नाम : कन्नौज डिग्री कालेज,
2. संस्था का पता : कृष्णानगर जाफ़राबाद, छिवरामऊ, जिला कन्नौज, उ०प्र०
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश व भारतवर्ष ।
4. संस्था के उद्देश्य :
 1. शिक्षा की पूर्ति के लिए शिक्षा रो सम्बन्धित रकूल, कालेज का निर्माण करना व संचालन करना ।
 2. संचालित कन्नौज डिग्री कालेज के अन्तर्गत शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कला संवर्ग, विज्ञान संवर्ग, कृषि संवर्ग राईट वी०ए० कालेज, वी०टी०सी० कालेज, लॉ कालेज, मेडिकल कालेज, पालीटैक्नीक व इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेण्ट कालेज आदि रो तत्सम्बन्धित पाठ्यक्रम के पठन पाठ्न। स्नातक एवं प्रास्तानक कक्षाओं का संचालन करने की समुचित व्यवस्था करना ।
 3. संचालित कन्नौज डिग्री कालेज नो विश्वविद्यालयो या सम्बन्धित विभागो से सम्बद्धता दिलाने का — प्रयास करना । इस हेतु स्थापित संस्था मे सभी संसाधनो को जुटाना ।
 3. भूमि क्य कर कन्नौज डिग्री कालेज का निर्माण कराना ।
 4. संरथा के उद्देश्यो के लिए छात्रावास, शिक्षको के लिए क्वार्टर्स, भोजनालय एवं पुस्तकालय के भवनो को बनवाना एवं उचित रखरखाव करना ।
 5. कन्नौज डिग्री कालेज के अन्तर्गत प्रोफेसनल क्लासेज व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी कोर्सों को संचालित करना तथा उनसे सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।
 6. कन्नौज डिग्री कालेज के विकास के लिए कार्य करना इस हेतु कार्य क्षेत्र के बालक बालिकाओं को वी०ए०, वी०टी०सी०, लॉ, इंजीनियरिंग पालीटैक्नीक तथा पाइ०पी०ए०, आई०ए०ए० स्तरीय एवं प्रोफेसनल कोर्सों की तैयारी करना तथा परीक्षा, वायवा एवं व्यक्तित्व विकास हेतु समुचित तैयारी करना ।
 7. विभिन्न व्यायोगी परीक्षाओं मे आने वाले विषयो के पठन पाठ्न की व्यवस्था सुयोग्य प्रशिक्षण के माध्यम से करना तथा परीक्षाओं मे शामिल होने योग्य बनाना ।
 - उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति के लिए शिक्षा क्षेत्र विकास लक्ष्य की सार्थकता के लिए संस्था का मुख्य सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सारकृतिक विकास हेतु कार्य करना ।
 - प्रशिक्षण के लिए रोजगार युवक युवतियों के लिये तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा के केन्द्रों को खोलना व चलाना। इस हेतु विभिन्न विभागों से योजनाओं व कार्यक्रमों को लेना व चलाना। इसके लिए शिल्प कला केन्द्र की स्थापना करना उसको चलाना तथा उसके अन्तर्गत विभिन्न वर्गों की व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था करना ।
 - समाज के शैक्षिक स्तर बढ़ाने शिक्षण संस्थाओं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना तथा प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को पुर्ववासित एवं रोजगार मे लगाना ।


 निष्ठा
 सत्य-प्रतिलिपि
 वरिं सहायक
 काल्पनिक
 विद्या

वरिं सहायक
 काल्पनिक
 विद्या
 ०५१०६/२०२०

11. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं / विभागों से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। इस हेतु सांसद निधि विधायक निधियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके कन्नौज डिग्री कालेज के भवन निर्माण तथा अन्य शिक्षाओपकरणों की व्यवस्था करना।



सत्य-प्रतिलिपि
बरिंग सहायक
कर्म्म, जोसाइटीज तथा विद्यालय
कानपुर
105/06/2020

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : कन्नौज डिग्री कालेज,
2. संस्था का पता : कृष्णानगर जाफराबाद, छिबरामऊ, जिला कन्नौज, उत्तरप्रदेश 283000.
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश व भारतवर्ष।
1. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

1-फाउण्डर सदस्य

इस संस्था की संस्थापना श्री आलोक प्रताप सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा अपने निजी श्रोतों से की जा रही है ये अपने योगदान के कारण इस संस्था के आजीवन फाउण्डर सदस्य रहेंगे। फाउण्डर सदस्य को अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार होगा। यदि इसके द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता है तो इसके विरासतन उत्तराधिकारी को ही इसका उत्तराधिकारी बनाया जायेगा।

2-आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति इस संस्था को निरवार्थ भाव से एक मुश्त 11,000.00 हजार रुपया नगद या सममूल्य की समिलि प्रदान करेंगा वह संस्था का आजीवन सदस्य हो सकेगा।

3-विशिष्ट सदस्य:-

जो व्यक्ति समाज का प्रतिष्ठित सुशिक्षित समाज सेवी तथा —— गणमान्य व्यक्ति होगा वह प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा। विशिष्ट सदस्यों की कोटि में विधायक सांसद एवं जन्य गणमान्य व्यक्ति समिलिता किये जायेंगे।

4-सामान्य सदस्य

जो व्यक्ति संस्था के हेतु 100/-रुपया (एक सौरुपया) सालाना प्रदान करेंगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा। सामान्य सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करने के पाच वर्ष की अनवरत अवधि तक रादर्य बने रहने के बाद ही प्रबन्ध समिति के चुनाव में भाग लेने या प्रत्यासी बनने का अधिकार प्राप्त होगे।

2. कोआप्ट सदस्य

ऐसे सामान्य सदस्य या सहयोगी व्यक्ति जो इस संस्था को विशिष्ट योगदान दे रहे हैं संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा उन्हे संस्था के कोआप्ट सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेंगा। कोआप्ट सदस्य को 21000.00 रुपये एक बार एक मुश्त देना अनिवार्य होगा इनकी अधिकतम संख्या पांच होगी। मध्यावधि चुनाव होने पर कोआप्ट सदस्यों की सदस्यता मध्यावधि में भी समाप्त हो जायेगी। एक साली योगिता एक से अधिक बार कोआप्ट सदस्य के रूप में संस्था की कार्यकारिणी तभी तभी नामोनीत किया जायेगा।



संस्था का नाम : कन्नौज डिग्री कालेज,
संस्था का पता : कृष्णानगर जाफराबाद, छिबरामऊ, जिला कन्नौज, उत्तरप्रदेश 283000.
संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश व भारतवर्ष।
संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :
1. फाउण्डर सदस्य
2. आजीवन सदस्य
3. विशिष्ट सदस्य
4. सामान्य सदस्य
2. कोआप्ट सदस्य
यरि० राहायक
फॉर्म, सोसाइटीज तथा चिह्न
कानपुर, ०६/०६/२०२०

नोट :- किसी भी वर्ग के द्वारा दिया गया चन्दा या सदस्यता शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति-

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- 3 संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. च्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5. यदि आजीवन सदस्य स्वतः त्यागपत्र देते हैं तथा प्रबन्ध समिति व साधारण सभा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो आजीवन सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकेगा।
6. यदि आजीवन सदस्यों के द्वारा संस्था विरोधी कार्य किया जाता है तो उन्हे नोटिस देकर स्पष्टीकरण लिया जायेगा यदि तत्समय के $\frac{3}{4}$ से अधिक सदस्य उन पर लगाये गये दोषों की पुष्टि करते हैं तो ऐसे सदस्य / पदाधिकारी संस्था की प्रबन्ध समिति से हटाया जा सकेगा। यह निर्णय प्रबन्धक / सचिव द्वारा लिया जायेगा।
7. ऐसे सामान्य सदस्य जो नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करते हैं उनकी निर्धारित सदस्यता शुल्क 6 माह से अधिक बढ़ाया होने पर उन्हे सदस्यता से प्रथक किया जा सकेगा। यह निर्णय प्रबन्धक / सचिव द्वारा लिया जायेगा।
8. अनुशासनहीनता के आरोपों (प्रमाण सहित) पर।
10. सभी प्रकार के सदस्यता समाप्ति का अन्तिम निर्णय साधारण सभा के $\frac{3}{4}$ वहमत से लिया जायेगा। ऐसे मामले में यदि कमेटी में मत विभाजन बराबर बराबर रहता है तो अध्यक्ष एवं प्रबन्धक / सचिव का मत अन्तिम होगा।

6. संस्था के अंग

7. साधारण सभा:-

गठन-

बैठके-

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति



Yashu Gujari

सत्य-प्रतिलिपि
यरि० सहायक
फर्म, सोसाइटीज तथा विद्या
कानपुर
10/06/2020

प्रकार की बैठके अध्यक्ष की अनुमति या निर्देश पर ही प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलायी जा सकेगी।

सूचना अवधि—

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी। बैठकों की सूचनाओं का प्रसारण अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्धक/सचिव द्वारा किया जायेगा।

गणपूर्ति—

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होगी परन्तु कोरम के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलायी जायेगी। बैठक में गणपूर्ति का प्रतिवन्ध नहीं रहेगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि—

साधारण सभा व वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी अवधि तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रबन्धक/सचिव द्वारा तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संसद का वार्षिक रिपोर्ट व बजट पास करना।
3. संसद के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करना।
4. संसद का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
5. महाविद्यालय की कार्यकारिणी का पुर्णांगन निर्वाचित प्रबन्धकारिणी के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति—

1. गठन —

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के बहुमत से होगा। प्रबन्धसमिति का संगठन निम्नवत रहेगा—

जिसमें निम्नवत सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रबन्धकारिणी समिति में दिया जायेगा।

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. फाउण्डर सदस्यों में से | दो प्रतिनिधि |
| 2. कोऑप्ट सदस्यों में से | छँ. प्रतिनिधि |
| 3. आजीवन सदस्यों में से | तीन प्रतिनिधि |
- यही सदस्य अपने में से निम्न पदाधिकारीयों का बहुमत से नियुक्त होंगे—
- | | |
|------------------|----|
| 1. अध्यक्ष | एक |
| 2. उपाध्यक्ष | एक |
| 3. प्रबन्धक/सचिव | एक |
| 4. उपप्रबन्धक | एक |
| 5. कोषाध्यक्ष | एक |



वरिं सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा घिट्स
कानपुर

05/06/2020

6. शेष कार्यकारिणी सदस्य होगे।

प्रबन्ध समिति में 05 पदाधिकारी एवं 6 सदस्य होगे। इस प्रकार वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 11 है। प्रबन्ध समिति की सदस्य संख्या को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।

इस संस्था का फाउण्डर सदस्य या उसका उत्तराधिकारी ही भविष्य में यदि अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव चुने जा सकें। प्रबन्धक/सचिव ही इस समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय या किसी अन्य संचालित शैक्षिक संस्था का प्रबन्धक होगा।

जब तक संस्था में अन्य वर्गों के सदस्य (आजीवन व सामान्य) वाच्चित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं कोआप्ट सदस्यों की संख्या पांच तक की जाती रहेगी।

2. बैठकें सामान्य व विशेष –

प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठकें तिमाही और आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है। प्रत्येक प्रकार की बैठक चाहे वह सामान्य हो या विशेष हो केवल अध्यक्ष की अनुमति या निर्देश पर ही प्रबन्धक/सचिव बुलायी जा सकेगी।

3. सूचना अवधि –

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें 7 दिन पूर्व और विशेष बैठकें 24 घंटा पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

4. गणपूर्ति –

संस्था के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति माना जायेगा। कोरम के आभाव में स्थगित बैठकों के लिए कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा। परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत ही रहेगे।

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति –

प्रबन्धकारिणी समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था अपने साधारण समा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से में शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

2. अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव के रिक्त स्थान की पूर्ति नियमावली की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही की जायेगी।

6. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य

1. कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत महाविद्यालय की स्थापना करना व उसके संचालन प्रबन्ध की व्यवस्था करना।

2. विश्वविद्यालय के मानकों के एवं शर्तों को पूरा करने हेतु आवश्यक संसाधनों भूमि भवन आदि की व्यवस्था करना।

3. संस्था की उन्नति के लिये आवश्यक कार्य करना।

4. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।

5. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

6. संस्था का कार्यवृत्त तैयार करना।

सत्य-प्रतिलिपि
विश्वविद्यालय
कानपुर (उत्तर प्रदेश)

विश्वविद्यालय
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
05/06/2020



7. महाविद्याय की कार्यकारिणी का पुर्नगठन निर्वाचित प्रबन्धकारिणी के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप करना। संरथा आपने किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होने पर किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त प्राइवेट बैंक) से ऋण प्राप्त करने हेतु कमेटी के एक प्रस्ताव के साथ आवेदन कर ऋण प्राप्त कर सकेगी, प्राप्त ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व समर्त प्रबन्धक/सचिव का होगा।
8. संस्था प्राप्त ऋण के विषय में व ऋणदाता के पक्ष में जमानत स्वरूप अपनी या अपने किसी सदस्य या पदाधिकारी की अचल सम्पत्ति वर्तीर जमानत बैंक या ऋणदाता के पास बन्धक करेगी।
9. किसी सदस्य या पदाधिकारी को हटाये जाने या शामिल किये जाने का निर्णय अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव की संतुति के अनुरूप लेना।
10. समिति व इसके द्वारा संचालित महाविद्यालय या अन्य संस्थाओं की चल अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था विस्तार, निर्माण आदि की जिम्मेदारी लेना।
11. पारित प्रस्तावों को कियान्वित करने का वातावरण तैयार करना।
12. नियम उपनियम बनाना।
13. किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए उपसमितियों का गठन करना व उनके पदाधिकारियों के अधिकारों कर्तव्यों का निर्धारण करना।
14. समिति अपने समर्त नियम उपनियम विश्वविद्यालय या जहाँ से समिति द्वारा संचालित संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हुई है के अनुरूप बनायेगी।

7. कार्यकाल :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना। किसी विषय पर बराबर बराबर मत आने पर अपने विशेष मत का प्रयोग करना। आवश्यक होने पर एजेंडा में शामिल विषयों के अलावा अन्य विषयों को प्रस्तुत करने की अनुमति देना।

2. समिति के सभी प्रकार के भुगतानों व प्राप्तियों का अनुमोदन अध्यक्ष से लेना अनिवार्य होगा।

3. आवश्यकतानुसार समिति के खातों के संचालन हेतु अपने संयुक्त हस्ताक्षर करना।

4. समिति के खर्च के लिये आवश्यक धन नकद रूप से व्यय की स्वीकृति देना।

2. उपाध्यक्ष

सत्य-प्रतिलिपि
परेऽ सहायक
न्तर्म, रोसाइटीज तथाचिद्दस
कानपुर
05/06/2020



अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंधे गये अधिकारों/कर्तव्यों का निर्वाहन करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

3. प्रबन्धक / सचिव

1. महाविद्यालय का प्रबन्धक होगा। तथा प्रबन्धक के रूप में प्राप्त होने वाले समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का पालन व प्रयोग करेगा।
2. प्रबन्धक/सचिव का संपूर्ण प्रबन्ध समिति व इसके द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं व शाखाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा।
- 3- अध्यक्ष के साथ प्रबन्धक/सचिव के हरताक्षर सभी विलो वाउचरों एवं चैकों पर होना अनिवार्य होगे।
- 4- प्रबन्धक/सचिव व अध्यक्ष द्वारा ही समस्त प्रकार के सभी वर्गों के सदस्य बनायेगे।
- 5- प्रबन्धक/सचिव को यह अधिकार होगा कि वह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त करके किसी भी पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दे या किसी सदस्य पदाधिकारी के अधिकारों कर्तव्यों में आवश्यकतानुसार कटौती कर ले।
6. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
7. समस्त विलो व वाउचरों अनुबन्ध पत्रों सौंदर्यों आहरण पत्रों नियुक्ति पत्रों आदिपर हरताक्षर करना।
8. राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।
9. वैतनिक कर्मचारियों की निष्कासन पदोन्नति व वेतनवृद्धि करना।
10. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना या उसके सम्पादन हेतु किसी पदाधिकारी या कानूनी सलाहकार को अधिकृत करना।
11. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना। समिति या इसके द्वारा संचालित सभी संस्थाओं इकाइयों की चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन आदि के रजिस्टरी बैनामा, विक्यानामा, हस्तानान्तरण डीडो, आदि सभी पर प्रबन्धक/सचिव के ही हरताक्षर होगे।
13. यदि ऐसी स्थिति आये कि अमुक व्यक्ति संस्था का सदस्य है या नहीं तो इसका निपटरा सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव के संयुक्त निर्णय में निहित होगा।
14. संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
15. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना। बैठकों की कार्यवाही लिपिवृद्धि करना व सुनाना। सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
16. संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
17. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करना।
18. दान व चन्दा प्राप्त कर सुनिश्चित करना कि धन बैंक में जमा कर दिया गया है।
19. संस्था के आडिट के समय आये दूर्घटनाएँ तथा अपेक्षित नियमानुसार आडिट कराना।



सत्य-प्रतिलिपि

र. २०२० सहायक
નાના, રોટરાઇઝ તથા ચિદસ

કાનપુર (ઉત્તર)
૧૦૫/૦૬/૨૦૨૦

20

संस्था के बैंक खाता संचालन में आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के साथ अपने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके खाता से धनाहरण करना ।

4. उपप्रबन्धक

5. कोषाध्यक्ष

प्रबन्धक/सचिव की अनुपरिधि में उनके द्वारा सौंपे गये अधिकारों/कर्तव्यों का निर्वाहन करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना ।

संस्था के आय व्यय का अकन करना उसका हिसाब किताब रखना तथा उसको समय समय पर कमेटी की बैठकों में प्रस्तुत करना ।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संशोधन सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जायेगा। प्रत्येक संशोधन के लिए अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव की सहमति अनिवार्य होगी बिना उसकी सहमति के कोई भी प्रस्ताव बैठक में नहीं रखा जा सकेगा।

11. कोष संचालन

संस्था का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोर्ट ऑफ ऑफिशल बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा होगा जिसके संचालन हेतु बैंक में प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर भेजे जायेगे। प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर से खाते से धनाहरण हो सकेगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)-

संस्था के आय व्यय के लेखा परीक्षण हर वर्ष किसी योग्य आडिटर अथवा चार्टिड एकाउण्टेण्ट द्वारा कराया जायेगा।

13. प्रपत्रों को प्रमाणित करने का अधिकार-

संस्था के अभिलेखों को प्रपत्रों को प्रमाणित करने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव में निहित होगा।

14. संस्था द्वारा तथा उसके विलद्व अदालती कार्यवाही का संचालन का उत्तरादायित्व

संस्था द्वारा होने वाली समरत अदालती कार्यवाही की पैरवी प्रबन्धक/सचिव द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी। नियुक्त पदाधिकारी अपने दायित्व निर्वाहन में प्रबन्धक/सचिव सहमति व सलाह अनिवार्य रूप से लेगा।

15. संस्था के अभिलेख :-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. रटाक रजिस्टर
4. कैशबुक आदि

16. आय के श्रोत

1. सदस्यता शुल्क से व पब्लिक व सरकार से प्राप्त दाने अनुदान व चन्दा से ।



रात्य-प्रतिलिपि

वरिं संसाधक
कर्मा, रोसाइंज तथा घिर्द्द
कानपुर

१०५ | ०६ | २० २०

Nisha

Gujam

Jai

Amrit

2. राज्य सरकार केन्द्र सरकार व उसके विभागों अनुभागों से प्राप्त अनुदान व ऋण आदि से अर्जित आय।
3. संस्था के द्वारा उत्पादन एवं विकी से अर्जित आय। संस्था की चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन से अर्जित आय। संस्था के भवनादि के किराया से अर्जित आय।
4. संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से अर्जित आय।
5. संस्था के बैंक में जमा धनराशि से प्राप्त व्याज आदि से आय।
6. अन्य विविध स्रोतों से अर्जित आय।

17. ऋण अदायगी का उत्तरदायित्व

संस्था अपने किसी उददेश्य विशेष की पूर्ति के लिए जैसे भवन निर्माण, महाविद्यालय के संचालन हेतु संसाधनों को विस्तार, क्य आदि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगी। प्राप्त ऋण के विपक्ष में तथा ऋणदाता के पक्ष में संस्था अपनी या अपने किसी सदस्य की व्यक्तिगत अचल सम्पत्ति बतौर जमानत प्रस्तुत करेगी। इस ऋण अदायगी का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक/सचिव का व्यक्तिगत होगा।

18. विधटन

संस्था के विघटित होने पर सर्व प्रथम संस्था की चल अचल सम्पत्ति से संस्था सम्बन्धी समस्त देयताओं का भुगतान किया जायेगा। शेष चल अचल सम्पत्ति का विधटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



सत्य-प्रतिलिपि

वरिझ सहायक
नरा, सोसाइटी तथा चिट्ठा
कानपुर

Q 05/06/2020

KANNAUJ HOSPITAL

KRISHNA NAGAR , JAFRABAD CHHIBRAMAU KANNAUJ

MO - 9519770886

hospitalkannauj@gmail.com

Ref No - KH/ 389/23

Date - 29/03/2023

UNDERTAKING OF PARENT HOSPITAL

This is to certify that **Kannauj Hospital** at **Krishna Nagar, Jafrabad, Chhibramau, Kannauj – 209721** is a 100 Bedded multispecialty Hospital which is running under the Society **Kannauj Degree College, Krishna Nagar, Jafrabad, Chhibramau, Kannauj (U.P.)**. The Society named **Kannauj Degree College, Krishna Nagar, Jafrabad, Chhibramau, Kannauj** here by agree that **Kannauj Hospital** will be the parent hospital of the nursing college named **Kannauj College Of Medical Science** which is also under the same Society and we, the Society have no objection for giving clinical practice for the nursing students in **Kannauj Hospital** and assuring that, this hospital will not be a parent hospital or will not be affiliated for any other nursing institution.



Chairman

Chairman
Kannauj Hospital
Krishna Nagar Jafrabad Chhibramau
Kannauj (U.P.)

आयकर

विभाग

भारत

सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT

GOVT. OF INDIA



KANNAUJ DEGREE COLLEGE

03/04/2012

Permanent Account Number

AABAK7901L

Signature